न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./44/2025/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
पूनमाराम पुत्र मुकनाराम, उम्र 62 वर्ष, जाति जाट, निवासी सांईयों की ढाणी, तह. सिणधरी, ज़िला बालोतरा।	1. मोबताराम उर्फ मोमताराम पुत्र मुकनाराम, उम्र 69 वर्ष 2. खेमाराम पुत्र मुकनाराम, उम्र 65 वर्ष 3. मेघाराम पुत्र मुकनाराम, उम्र 74 वर्ष, जाति जाट निवासी सांईयों की ढाणी, तह. सिणधरी, जिला बालोतरा। 4. तहसीलदार, सिणधरी, जिला बालोतरा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज़स्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 35/2023 बउनवान मोबताराम वगैरह बनाम मेघाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08.08.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः—

1. वकील श्री पाबुराम बैनिवाल अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत उतरदाता संख्या 01 व 02 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—20.08.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 92, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा साईयों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू, तह. सिणधरी के खसरा संख्या 308 रकबा 9.9022 हेक्टेयर, खसरा संख्या 464 रकबा 6.8361 हेक्टेयर व मौजा डेलुओं की ढाणी के खसरा संख्या 79 रकबा 6.9979 हेक्टेयर संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है। हस्तगत प्रकरण की वादगस्त आराजी में वादी/रेस्पोडेन्ट व अपीलांट का अपने—अपने हिस्से अनुसार सहकृषक बहैसियत कब्जा—काश्त चला आ रहा है। राजस्व रेकर्ड में हिस्से अंकित है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार ही पक्षकारान कब्जा—काश्त (ढाणी, टांका, पशुबाड़े इत्यादि) काबिज हैं। वर्तमान में वादी व प्रतिवादी के बीच में विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण खेत में हिस्से को लेकर विवाद बना रहता है। वादी कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

द्वारा दखलअंदाजी की जा रही है तथा वादीगण के कब्जे काश्त को जबरन उसके हिस्से से बेदखल करने पर उतारू हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण (प्रत्यर्थीगण) वादग्रस्त खसरान में अपने कब्जा कांश्त के अनुसार भूमि को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करने के अधिकारी हैं। जिस हेतु बंटवारे का वाद पेश किया था। जिस पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। मौके पर पक्षकारान के मध्य हुए बाहमी बंटवारे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट को बिना सुनवाई–सबूत का अवसर दिये बाले–बाले ही पारित की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 92, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा साईयों की ढाणी पटवार क्षेत्र होड़ू, तह. सिणधरी के खसरा संख्या 308 रकबा 9.9022 हेक्टेयर, खसरा संख्या 464 रकबा 6.8361 हेक्टेयर व मौजा डेलुओं की ढाणी के खसरा संख्या 79 रकबा 6.9979 हेक्टेयर संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है। हस्तगत प्रकरण की वादगस्त आराजी में वादी/रेस्पोडेन्ट व अपीलांट का अपने–अपने हिस्से अनुसार सहकृषक बहैसियत कब्जा–काश्त चला आ रहा है। राजस्व रेकर्ड में हिस्से अंकित हैं। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार ही पक्षकारान कब्जा–काश्त (ढाणी, टांका, पशुबाड़े इत्यादि) काबिज हैं। वर्तमान में वादी व प्रतिवादी के बीच में विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण खेत में हिस्से को लेकर विवाद बना रहता है। जिस हेतु अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया था जिस पर अपीलांट/प्रतिवादीगण को तलब किया गया जिस पर अपीलांट ने जरिये वकालतन अपनी उपस्थिति दी परन्तु वकील द्वारा अपीलांट की ओर से समुचित पैरवी नहीं की गई तथा जवाब दावा भी पेश नहीं किया गया और ना ही कोई साक्ष्य सबुत पेश किया गया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों से परे जाकर दिनांक 10.07.2024 को एकपक्षीय प्राथमिक

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

डिक्री जारी कर तहसीलदार सिणधरी से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया, जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर हल्का पटवारी व आर. आई. से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने को कहा जिस पर हल्का पटवारी व आर. आई. द्वारा वादी/रेस्पों. से मिलीभगत करते हुए मौके पर पक्षकारान के मध्य हुये बाहमी बंटवारे व कब्जा–काश्त के विपरित जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट को धोखे में रखते हुए हस्ताक्षर करवाये। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है उक्त नियमानुसर तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना आवश्यक होता है। किन्तु प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव में तहसीलदार द्वारा अपने अधिकार हल्का पटवार व आर. आई. को अंतरित किये गए। उक्तानुसार पटवारी हल्का स्वयं व आर. आई. द्वारा ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये जिसमें अपीलांट के कब्जे काश्त यथा टाणी, टांके, पशु बाड़ा का ध्यान नही रखा गया जिससे अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया प्रतीत होता है। जिसमें माननीय राजस्व मण्डल की विभाजन प्रस्ताव नियमावली में वर्णित नियम 18 से 21 की पालना का अभाव है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह विधि सम्मत है। उसमें किसी तरह की कमी नहीं है क्योंकि सभी पक्षकारों की उपस्थिति में हल्का पटवारी व आर. आई. के साथ तहसीलदार सिणधरी के निर्देशानुसार विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। उक्त प्रस्ताव टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 20 से 21 के अनुसार विधि सम्मत है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट द्वारा पढ सुनकर व समझ कर हस्ताक्षर करने का अंकन है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अनुसार घोषणा कर बंटवारा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है। सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा ईमानदारी एवं निष्पक्ष रूप से पैरवी नहीं की गई जिस कारण से अपीलाधीन निर्णय का अपीलांट को ज्ञान नहीं हुआ। रेस्पों. द्वारा अपीलाधीन निर्णय की पालना में अपने हिसाब से निर्णय पारित करवाने के बाद मौके पर सड़क की भूमि पर काबिज होने व नया निर्माण करने का प्रयास किया जाने लगा एवं अपीलांट के कब्जा–काश्त में हस्तक्षेप करने पर अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तब अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई, जानकारी होते ही अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश कर दी। बाद जानकारी यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट्स को सूचित किया गया है। जिस पर अपीलांट स्वयं उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये थे। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील बावजूद जानकारी अत्यंत विलंब से पेश की है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट द्वारा पढ सुनकर व समझ कर हस्ताक्षर किये जाने का अंकन है। उक्तानुसार अपीलांट द्वारा किये कथनों पर विश्वास किया जाता है तो फिर प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना संभव ही नहीं है। अपीलांट द्वारा हस्तक्षार के संबंध में किये गये कथन में कोई सार नहीं है। अपीलांट को छोड़कर समस्त वादी एवं प्रतिवादी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से संतुष्ट हैं। अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हुए बंटवारा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया उसके पश्चात स्वीकारोक्ति से मुकर जाना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई उसे बाकायदा भूमिधारक तहसीलदार सिणधरी के द्वारा मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवत्ता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 08.08.2024 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांट द्वारा हस्तगत वाद एवं अपील के साथ ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया जिसके अनुसार अपीलांट जोत का बंटवारा चाहता हो। अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव के संबंध में भी अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार कोई उज्र–ऐतराज दर्ज नहीं करवाया गया है। जिससे उनकी विभाजन प्रस्ताव में सहमति प्रतीत होती है। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए। सभी पक्षकारों की उपस्थिति में हल्का पटवारी के साथ तहसीलदार, सिणधरी द्वारा निर्देशानुसार विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है। अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार, सिणधरी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलंक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 35/2023 बउनवान मोबताराम वगैरह बनाम मेघाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08.08.2024 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

20/8/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/8/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर